समक्ष जवाहर लाल गुप्ता और के. एस. ग्रेवाल जे. जे.

विजय गोपाल डोगरा,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य,-उत्तरदाता

1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 525

25 सितंबर, 2000

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वकीलों के कक्ष *(*आवंटन और अधिभोग*)* नियम, *1985 (*पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वकीलों के कक्ष *(*आवंटन और अधिभोग*)* नियम, *1988* के रूप में संशोधित*)*। *6,* 9, *10, 11, 12, 14* और *17*-उच्च न्यायालय के परिसर में निर्मित कक्षों का आवंटन-मूल आवंटी को आवंटित कक्ष के सहयोगी सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता-क्या कोई आवंटी अपने सहयोगियों को कक्ष के उपयोग से अलग कर सकता है-आयोजित, हाँ-एक मूल आवंटी अपनी पसंद के *7* सदस्यों तक उसके साथ जोड़ सकता है और माननीय मुख्य न्यायाधीश की पूर्व मंजूरी के साथ किसी को भी अलग कर सकता है-एक सहयोगी सदस्य को मूल आवंटी के साथ जुड़े रहने का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है।

अभिनिर्धारित किया कि कक्षों का आबंटन मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार के भीतर है। जिस अधिवक्ता को एक कक्ष आवंटित किया गया है, वह अपनी पसंद के सात सदस्यों तक को साथ जोड़ सकता है, लेकिन केवल मुख्य न्यायाधीश की पूर्व मंजूरी के साथ।इससे पता चलता है कि मुख्य न्यायाधीश का विवेकाधिकार अपनी पसंद के सात अधिवक्ताओं के आवंटनकर्ता द्वारा कक्षों और संघ के आवंटन के संबंध में सर्वोपरि है।आबंटित व्यक्ति अपने साथ किसी भी अधिवक्ता को तब तक संबद्ध नहीं कर सकता जब तक कि उसे मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति न हो।इससे यह पता चलता है कि एक आवंटी अपने सहयोगियों को चैंबर के उपयोग से भी अलग कर सकता है।बस संघ के रूप में तक

अधिवक्ताओं की अपेक्षित संख्या केवल मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन के साथ हो सकती है, जिनके पास कक्षों को आवंटित करने का एकमात्र विवेकाधिकार है, एक अधिवक्ता का पृथक्करण अनिवार्य रूप से केवल उनके अनुमोदन के साथ होना चाहिए।नियमों के तहत, याचिकाकर्ता को मूल आवंटनकर्ता के साथ जुड़े रहने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि बाद वाले ने उस पर विश्वास और भरोसा खो दिया था और मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मंजूरी दे दी थी।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता सहित अपने दो सहयोगियों को नामित किया और आवंटन पत्र, दिनांक 2 अगस्त, 1985 में आवंटनकर्ता से जुड़े दो अधिवक्ताओं के नामों का उल्लेख किया गया है।उक्त पत्र में आवंटन के नियमों और शर्तों को भी निर्धारित किया गया था, जिनका पालन केवल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना था। सहयोगियों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने या प्रतिभूति जमा करने या कक्ष पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं थी।इसलिए, सहयोगियों और उच्च न्यायालय के बीच कोई सविंदातामक संबंध नहीं था। इन नियमों के तहत आवंटन किया गया था और जो नियम अब प्रचलित हैं, उनकी सावधानीपूर्वक जांच की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या याचिकाकर्ता के पास कोई लागू करने योग्य अधिकार था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी नहीं मिला है।

(पैरा 11)

ओंकार सिंह, याचिकाकर्ता के वकील

राजन गुप्ता, प्रतिवादी 1 के लिए अधिवक्ता।

आर. एस. मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री पालिका मोंगा, प्रतिवादी 2 की अधिवक्ता।

निर्णय

के. एस. ग्रेवाल, जे.

(1) उच्च न्यायालय बार के एक सदस्य, अधिवक्ता विजय गोपाल डोगरा ने 3 नवंबर, 1998 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश को चुनौती देने के लिए यह सिविल रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें श्री बी. एस. बिंद्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता का याचिकाकर्ता का नाम कक्ष 25 से हटाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था और याचिकाकर्ता को एक वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।

(2) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक ने 1 अगस्त, 1985 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के परामर्श से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों के कक्ष (आवंटन और अधिभोग) नियम 1985 को लागू किया, ताकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में निर्मित कक्षों के आवंटन को विनियमित किया जा सके।

चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय का परिसर।वकीलों को चार तक के समूह में आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनमें से समूह का एक सदस्य आबंटित होगा और अन्य केवल उसके सहयोगी होंगे।तदनुसार, एस. बी. एस. बिंद्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री. टी. एस. दोआबिया, अधिवक्ता (उस समय उनके स्वामी के रूप में) और याचिकाकर्ता ने एक संयुक्त आवेदन दायर किया, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-2 है।आवेदक श्री बिंद्रा, प्रतिवादी 2 थे। और अन्य दो सज्जनों को उनके सहयोगियों के रूप में नामित किया गया था।आवेदन स्वीकार कर लिया गया और बी. एस. बिंद्रा 2 अगस्त, 1985 को-आवंटन पत्र अनुलग्नक पी-3 के माध्यम से कक्ष 25 आवंटित किया गया। एस. दोआबिया और एस. डोगरा को मुख्य आवंटी के साथ जुड़ने की अनुमति दी गई थी।

(3) याचिकाकर्ता के अनुसार, एस। दोआबिया ने कक्ष का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह अपने प्रकाशनों में व्यस्त रहे और केवल याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 2 ने कक्ष साझा किया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी 2 को आधा किराया (लाइसेंस शुल्क) का भुगतान किया, जिसने उच्च न्यायालय कार्यालय में देय राशि जमा कर दी।याचिकाकर्ता ने बिजली, पानी और विभिन्न शुल्कों के लिए भी योगदान दिया।याचिकाकर्ता के अनुसार, जुलाई 1998 में प्रतिवादी 2 ने अपने साथ कक्ष साझा करने के लिए तीन और अधिवक्ताओं को शामिल किया और कक्ष के बरामदे को भी स्थायी रूप से ढक दिया।याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उन्हें 10 जुलाई, 1998 को उच्च न्यायालय से एक पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि श्री. बिंद्रा ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह उन्हें (याचिकाकर्ता) कहीं और स्थानांतरित करने के लिए कहे क्योंकि उनके वर्तमान सहयोगियों के पास काम करने और संक्षिप्त विवरण तैयार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी।याचिकाकर्ता को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने 3 अगस्त, 1998 के पत्र (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से जवाब दायर किया था।याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी 2 ने कक्ष को साझा करने के लिए तीन और व्यक्तियों को जोड़ा जो कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड के विरुद्ध है चूंकि वह आवंटन के समय एक मूल सहयोगी था, और उसके प्रतिवादी 2 के साथ अच्छे संबंध थे, 12 वर्षों से अधिक समय से कक्ष पर कब्जा में थे, इसलिए वह यह नहीं समझ सका कि कैसे तीन व्यक्ति संबद्ध हुए औरवह अपर्याप्त स्थान के बारे में शिकायत करने लगा था।याचिकाकर्ता ने इन मामलों के प्रभारी माननीय न्यायाधीश या कक्षों के आवंटन से निपटने वाले माननीय न्यायाधीशों से बनी किसी भी समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी कहा।

(4) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 2 को माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. सी. गर्ग द्वारा बुलाया गया था, जिन्होंने उन्हें देखा और यह विचार व्यक्त किया कि आवंटनकर्ता एकमात्र व्यक्ति था जो उसके साथ किसी भी व्यक्ति को संबद्ध कर स्कता था जिसे वह पसंद करता था और किसी को भी बाहर कर सकता था।याचिकाकर्ता का ध्यान 16 सितंबर, 1988 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए बाद के नियमों की ओर आकर्षित किया गया था, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वकीलों के कक्ष (आवंटन और अभियोग) नियम 1988 के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से नियम 6, जिसमें प्रावधान किया गया है कि कक्ष एक अधिवक्ता को आवंटित किया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन के साथ अपनी पसंद के अधिकतम सात अधिवक्ताओं के साथ संबद्ध हो सकता है।

(5) दिनांक 3 नवंबर, 1998 के अनुलग्नक पी-7 को चुनौती देने का मुख्य आधार यह है कि मामले को 1985 के नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए क्योंकि आवंटन उन नियमों के तहत किया गया था।बाद के नियम मामले को नियंत्रित नहीं कर सके।इसके अलावा, 1985 के नियमों के नियम 14 में प्रावधान किया गया था कि नियमों में संशोधन प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जा सकता है।इसलिए, 1988 के नियम जो बिना प्राधिकरण के बनाए गए थे, 1985 के नियमों का स्थान नहीं ले सकते थे।दूसरा, उस विवाद का संदर्भ दिया गया था, जो चैंबर 26 के संबंध में इसके आवंटनकर्ता और एक सहयोगी के बीच उत्पन्न हुआ था।विवाद को हल करने और आबंटित व्यक्ति और सहयोगियों के बीच अधिकारों को निर्धारित करने के लिए, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अध्यक्ष और बार के सचिव से बनी एक समिति का गठन किया गया था और अंततः यह सिफारिश की गई थी कि सहयोगी को आबंटित व्यक्ति के समान अधिकार थे और एक आबंटित व्यक्ति अपने सहयोगी को बाहर नहीं कर सकता था।अंत में, न तो 1985 के नियम और न ही 1988 के नियम किसी सहयोगी के अधिकारों से संबंधित थे।चूँकि दोनों नियम इस पहलू पर चुप थे, इसलिए समिति की सिफारिश को बाध्यकारी माना जाना चाहिए।विवादित अनुलग्नक को इस आधार पर भी चुनौती दी गई थी कि यह नियमों की भावना और अभिलेख पर सामग्री के खिलाफ था।2. प्रत्यर्थी के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था।याचिकाकर्ता का मामला प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों द्वारा कवर किया गया था।याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित 3 नवंबर, 1998 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की और यह भी घोषणा की कि 1988 के नियम अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना थे।

(6) इसके विरोध में, प्रतिवादी 1 ने पंजीयक के माध्यम से लिखित बयान दायर किया है। प्रत्यर्थी 1 के बचाव का सार यह था कि दो सहयोगियों को 20 अक्टूबर, 1996 को और तीसरे को 10 जनवरी, 1998 को शामिल होने की अनुमति देने के प्रत्यर्थी 2 के अनुरोध की अनुमति दी गई थी-21 दिसंबर, 1996 और 16 जनवरी, 1998 के पत्रों के माध्यम से (अनुलग्नक आरएल/1 और आर 1/2)।यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी 2 ने 6 जनवरी, 1998 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को अपने कक्ष से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था क्योंकि उनके नए सहयोगियों के पास काम करने और संक्षिप्त विवरण तैयार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी।इसने यह भी स्वीकार किया कि मामला माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. सी. गर्ग के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने 7 सितंबर, 1998 को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 2 को व्यक्तिगत सुनवाई दी और 29 अक्टूबर, 1998 को अपनी लिखित राय दी (अनुलग्नक आर 1/4)।इस राय को माननीय मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया और विवादित आदेश पारित कर दिया गया।

(7) श्री बी. एस. बिंद्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया, (प्रतिवादी 2) जिन्होंने प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए एक अलग लिखित बयान दायर किया कि याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का विवादित आदेश द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया था।यह माननीय मुख्य

न्यायाधीश द्वारा दिया गया एक प्रशासनिक आदेश था।याचिकाकर्ता को केवल एक सहयोगी के रूप में चुना गया था।उनके पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था।यह विकल्प अपरिवर्तनीय नहीं था क्योंकि इसे बदला जा सकता था।तथ्यों पर, एस। बिंद्रा ने कहा कि अक्टूबर, 1994 से उनके और याचिकाकर्ता के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और याचिकाकर्ता के "अनुचित आचरण और लालच" के कारण सौहार्दपूर्ण नहीं थे।प्रतिवादी 2 के अनुसार याचिकाकर्ता ने उनके क्लर्क और बड़ी संख्या में ग्राहकों को यह गलत तरीके से प्रस्तुत करके जीत लिया था कि प्रतिवादी 2 अपने पैर के विच्छेदन के बाद कभी भी अभ्यास फिर से शुरू नहीं करेगा।

(8) इस मामले में विचार किया जाने वाला मुख्य प्रश्न एक अधिवक्ता को आवंटित कक्ष के एक सहयोगी सदस्य द्वारा प्राप्त अधिकारों की सीमा के संबंध में है।

(9) चैंबरों के आवंटन के विषय पर 1988 के नियमों के साथ 1985 के नियमों की तुलना से पता चलता है कि 1985 के नियमों के तहत चैंबर एक अधिवक्ता को आवंटित किया जाना था, जो मुख्य न्यायाधीश की पूर्व मंजूरी के साथ अपनी पसंद के दो या तीन अधिवक्ताओं के साथ जुड़ सकता था।लाइसेंस शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी आबंटित व्यक्ति की होनी थी।हालांकि, दो प्रावधान थे, जो सहयोगी अधिवक्ताओं के दावे की रक्षा करते थे।ये प्रावधान तब सामने आएंगे जब आवंटन रद्द कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा और उस स्थिति में सहायक अधिवक्ता का चैंबर का नया आवंटन प्राप्त करने का तरजीही अधिकार भी अस्तित्व में आ जाएगा।उन्हें नए आवंटन तक व्यवसाय में रहने का अधिकार था।1988 के नियमों के तहत, आवंटन पर एक अधिवक्ता मुख्य न्यायाधीश की पूर्व मंजूरी के साथ अपनी पसंद के सात अधिवक्ताओं के साथ संबद्ध हो सकता था, लेकिन सहयोगी अधिवक्ताओं के अधिकारों को बरकरार रखा गया था। हालाँकि, यदि मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई नया आवंटन नहीं किया गया था, तो यह आवंटनकर्ता के सहयोगियों को कोई अधिकार, शीर्षक या ब्याज प्रदान नहीं करता था।1985 के नियमों के नियम 9 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि आवंटन में आबंटित व्यक्ति के पक्ष में कोई किरायेदारी, उप-किरायेदारी, पट्टा या उप-पट्टा, स्वामित्व, ब्याज आदि प्रदान नहीं किया गया था।नियम 10 में उल्लिखित आकस्मिकताओं के होने पर आवंटन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है।नियम 11 में आबंटियों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है और नियम 12 में नियमों के नियमों और शर्तों का पालन करने में आबंटियों की विफलता के परिणामों को निर्धारित किया गया है।

(10) 1988 के नियमों पर आते हुए, संबंधित प्रावधान बरकरार रहे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से नियम 17 ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों के कक्ष (आवंटन और अधिभोग) नियम 1985 को निरस्त कर दिया और बचत खंड में प्रावधान किया गया कि पुराने नियमों के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को वर्तमान नियमों के तहत किया गया माना जाएगा।

(11) वकीलों के कक्ष ऐसे कक्ष हैं, जहाँ वकील अपने पेशेवर काम में भाग लेते हैं, अपने मामले तैयार करते हैं, मुवक्किलों से निर्देश प्राप्त करते हैं और कनिष्ठ वकीलों के साथ सम्मेलन आयोजित करते हैं।इसलिए, वकील का कक्ष उसके काम का मुख्य स्थान है और इसे पवित्र होना चाहिए।यह एक सफल कानूनी अभ्यास के लिए भी आवश्यक है।इसलिए, कक्ष के भीतर शांति और शांति सबसे महत्वपूर्ण है।नियमों के अनुसार, प्रत्येक कक्ष केवल एक अधिवक्ता को आवंटित किया जाता है, जो उसके साथ अधिकतम तीन अधिवक्ताओं को संबद्ध कर सकता है, हालांकि अब वह सात अधिवक्ताओं को संबद्ध कर सकता है।चैंबर के आवंटन के लिए आवेदन करते समय, आवेदक को अपने सहयोगियों को नामित करना आवश्यक है।वर्तमान मामले में प्रतिवादी 2 ने याचिकाकर्ता सहित अपने दो सहयोगियों को नामित किया और आवंटन के पत्र अनुबंध पी-3, दिनांक 2 अगस्त, 1985 में आवंटनकर्ता से जुड़े दो अधिवक्ताओं के नामों का उल्लेख किया गया।उक्त पत्र में आवंटन के नियम और शर्तें भी निर्धारित की गई थीं, जिनका पालन अकेले प्रतिवादी 2 द्वारा किया जाना था। सहयोगियों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने या प्रतिभूति जमा करने या कक्ष पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं थी।इसलिए, सहयोगियों और उच्च न्यायालय के सविंदबंध नहीं थी।जिन नियमों

के तहत आवंटन किया गया था और जो नियम अब प्रचलित हैं, उनकी सावधानीपूर्वक जांच की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या याचिकाकर्ता के पास कोई लागू करने योग्य अधिकार था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी नहीं मिला है।

(12) कक्षों का आवंटन मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार के अंतर्गत होता है।जिस अधिवक्ता को एक कक्ष आवंटित किया गया है, वह अपनी पसंद के सात सदस्यों तक के साथ जुड़ सकता है, लेकिन केवल मुख्य न्यायाधीश की पूर्व मंजूरी के साथ।इससे पता चलता है कि मुख्य न्यायाधीश का विवेकाधिकार अपनी पसंद के सात अधिवक्ताओं के आवंटनकर्ता द्वारा कक्षों और संघ के आवंटन के संबंध में सर्वोपरि है।आबंटित व्यक्ति अपने साथ किसी भी अधिवक्ता को तब तक संबद्ध नहीं कर सकता जब तक कि उसे मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति न हो।इससे यह पता चलता है कि एक आवंटी अपने सहयोगियों को भी कक्ष के उपयोग से अलग कर सकता है।जिस तरह वकीलों की अपेक्षित संख्या तक का संघ केवल मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति से हो सकता है, जिनके पास कक्षों को आवंटित करने का एकमात्र विवेकाधिकार है, उसी तरह एक अधिवक्ता का पृथक्करण अनिवार्य रूप से केवल उनकी मंजूरी से होना चाहिए।वर्तमान मामले में मूल आवंटनकर्ता ने अनुरोध किया था

उच्च न्यायालय अपने सहयोगी से अनुरोध करे कि वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाए। याचिकाकर्ता ने मामले को माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. सी. गर्ग और अंत में माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी दी।नियमों के तहत, याचिकाकर्ता को मूल आवंटनकर्ता के साथ जुड़े रहने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि बाद वाले ने उस पर विश्वास और भरोसा खो दिया था और मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मंजूरी दे दी थी।यह दोहराया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के पिता हैं, जो पीठ और बार का गठन करते हैं।मुख्य न्यायाधीश हमेशा संस्थान के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे और निश्चित रूप से कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे।इसलिए, अधिवक्ताओं को कक्षों के आवंटन के मामले में मुख्य न्यायाधीश के विवेक का वास्तव में सम्मान किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

(13) जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक वकील का कक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ कोई व्यक्ति कक्ष के सदस्यों से एक-दूसरे के विश्वास और सद्भावना का आनंद लेने की उम्मीद करेगा।कहने की जरूरत नहीं है कि जब आपसी विश्वास टूट जाता है तो इससे बाहर निकलना एक सभ्य बात है। अपने अभ्यास को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करें।प्रतिवादी 2 ने याचिकाकर्ता के साथ अपना संबंध तोड़ने के लिए लगभग 4 साल तक इंतजार किया।चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता से तीन महीने के भीतर एक वैकल्पिक व्यवस्था करने या किसी अन्य कक्ष में समायोजन करने का अनुरोध करने वाले विवादित पत्र में निहित उच्च न्यायालय का निर्देश मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियमों के तहत आवंटन की शक्तियों के आधार पर विवेक के निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रयोग पर आधारित है।यद्यपि नियम किसी सहयोगी को आवंटन का अधिमान्य अधिकार नहीं देते हैं यदि मूल आवंटी के साथ उसका संबंध समाप्त हो जाता है और उससे कक्ष छोड़ने का अनुरोध किया जाता है, फिर भी यह वांछनीय होगा यदि इस निकटता को ध्यान में रखा जाए और याचिकाकर्ता को एक कक्ष के आवंटन के लिए विचार किया जाए, यदि कोई रिक्ति उत्पन्न होती है।यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी 2 को आवंटन 1985 में किया गया था और उस समय याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी 2 के साथ जुड़े होने के बजाय एक नियमित कक्ष के आवंटन के लिए आवेदन किया होगा।याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से आवंटन की मांग करने के अधिकार को छोड़ने का फैसला किया और प्रतिवादी 2 में शामिल होने के लिए चुना, इसलिए, यदि कोई रिक्ति है तो वह एक नए कक्ष के आवंटन के लिए विचार किए जाने का हकदार है।

(14) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि 3 नवंबर, 1998 का विवादित आदेश, अनुलग्नक पी-7, पूरी तरह से वैध है और नियमों के अनुसार है।यह रिट याचिका

आधारहीन है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।हालाँकि, याचिकाकर्ता को एक वैकल्पिक व्यवस्था करने या किसी अन्य कक्ष में एक सहयोगी के रूप में समायोजन करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा